माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

79

INDIA TEN RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE Rs.5

1–दिनेश कुमार सिंह

2–नागेन्द्र कुमार सिंह

3–नारेन्द्र कुमार सिंह — सभी के पिता जगजाहिर सिंह

4–विनय कुमार सिंह

5–श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी स्व0 जगजाहिर सिंह

II/निग/रीवा/भू.रा./2017/2125

सभी निवासी ग्राम पहाड़ी थाना शाहपुर , तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

——आवेदकगण

बनाम

रामराज बढई पिता श्री रामकुमार बढई निवासी ग्राम पहाड़ी थाना शाहपुर तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 7.7.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिवीजन याचिका विरूद्ध आदेश दिनांक 29/05/17 पारित द्वारा अपर कलेक्टर रीवा जरिये प्रकरण कमांक 131/अ–66/15–16 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

रिवीजन के आधार निम्नलिखित है:–

1– यह कि अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पारित अलोच्य आदेश विधि विधान के प्रतिकूल है जो सर्वथा निरस्त योग्य है।

2– यह कि आदेश में जो अवैधानिकता एवं अनियमितता स्पष्ट तौर पर दिख रही है वह यह कि विहित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जो अपील थी उसका न परीक्षण किया गया, न ही जांच की गई इससे आदेश अवैधानिक एवं निरस्त योग्य है।

3– यह कि विहित अधिकारी द्वारा मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान कर दिया गया जबकि प्रतिवेदन कोई साक्ष्य नहीं होता है। न्यायालय में पटवारी को आहुत कर उसका कथन लिया जाना चाहिये एवं अपने को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाना चाहिये था ।

4– यह कि विहित अधिकारी द्वारा इस बात की जांच नहीं कराई गई कि आवेदक भूमिहीन व्यक्ति है । वास्तव में आवेदक भूमिहीन व्यक्ति है ही नहीं इस बाबत जांच नहीं की गई है कि उसके पास अन्यंत्र भूमि है कि नही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2125

दिनेश कुमार सिंह आदि विरूद्ध रामराज बढ़ई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 131/अ–66/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29–05–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 6/3/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	